(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1342-एक/2002 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-5-2002 - पारित व्दारा - अपर कलेक्टर अशोकनगर - प्रकरण कमांक 2/2001-02 सी-144

कन्हैयालाल पुत्र गुन्धारीलाल ओझा
मोतीमोहल्ला खारे कुआ के पास
बार्ड क-123 अशोकनगर
तत्त0जिला गुना वर्तमान जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

1- जानकीलाल(मृतक) पुत्र गुन्धारीलाल ओझा

वारिस

(अ) श्रीमती सावित्रीवाई पत्नि स्व.जानकीलाल
ग्राम सेमरी इमलीखेडा तहसील अशोकनगर

(ब) श्रीमती गिरजावाई पुत्री जानकीलाल स्व.जानकीलाल
पत्नि भोगीराम ईदगाह के पास अशोकनगर

(स) सियावाई पुत्री जानकीलाल पत्नि रघुवीर
शशीन्द्र गली बापूविद्यालय के पास अशोकनगर

(द) श्रीमती राधावाई पुत्री स्व.जानकीलाल ग्राम सेमरी
इमलीखेडा तहसील अशोकनगर

2- सुखलाल पुत्र गुंधारीलाल ओझा
शशीन्द्र गली बापूविद्यालय के पास अशोकनगर

3- नन्नूलाल पुत्र गुंधारीलाल ओझा
मोतीमोहल्ला खारे कुआ के पास अशोकनगर

4- राजावाई पुत्री गुंधारीलाल ओझा पत्नि भोगीराम
ग्राम केशोपुर तहसील मुंगावली
तहसील व जिला अशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक-1 के वारिस 1,4 के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक-2,3,4 के सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6-4- 2016 को पारित)

अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 2/2001-02 सी-144 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 के विरुद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि जानकीलाल (मृतक) पुत्र गुन्धारीलाल ओझा ने नगर पालिका अशोकनगर में आवेदन देकर प्रकरण कमांक 135/200X 7 में मकान नंबर 278 बार्ड कमांक पुराना 8 मोतीमोहल्ला अशोकनगर पर गुन्धारीलाल पुत्र फुन्दीलाल के स्थान पर जानकीलाल पुत्र गुन्धारीलाल, राजवाई पुत्री फुन्दीलाल, कन्हैयालाल पुत्र गुन्धारीलाल, सुखलाल पुत्र गुन्धारीलाल एंव नन्नूलाल पुत्र गुन्धारीलाल का मकान नामान्तरण दिनांक 28-9-2000 का स्वीकृत किया। इस आदेश के विरुद्ध संकल्प समिति के समक्ष अपील होने पर संकल्प कमांक-1 दिनांक

22-12-2000 से प्रकरण कमांक 135/200X 7 में लिये गये निर्णय दिनांक 29-9-2000 को यथावत् रखा गया । इस आदेश के विरूद्ध नगरपालिका अधिनियम 323 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत करने पर अपर कलेक्टर गुना ने प्रकरण क्रमांक 2/2001-02 सी-144 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक क-1 के वारिस (अ) एंव (द) के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया। मामले की परिस्थितियों के अवलोकने से परिलक्षित है कि नगर पालिका अशोकनगर क्षेत्र के बार्ड कमांक 8 मोती मोहल्ला अशोकनगर में स्थित मकान नंबर 278 पर नगर पालिका व्दारा प्रकरण क्रमांक 135/200X 7 में पारित आदेश दिनांक 28-9-2000 से किये गये नामान्तरण पर यह प्रकरण चला है । अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 2/2001-02 सी-144 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 के अवलोकन पर स्थिति यह पाई गई है कि अपर कलेक्टर व्दारा अपील समिति व्दारा पारित आदेश दिनांक 22-12-2000 तथा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29-9-200 की समीक्षा में पाया है कि उक्तादेशों तर्क पूर्ण कारण

नहीं लिखे गये है क्योंकि यह आदेश संक्षिप्त हैं। अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आवेदक के हितों को प्रभावित करने वाला उक्तादेश उसे सूचना दिये बिना एंव सुनवाई का मौका दिये बिना पारित किया गया है, जिसके कारण उन्होंने प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर विस्तृत विवेचना करके Speaking order पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जहाँ उभय पक्ष को अपना - अपना पक्ष प्रस्तुत करने एंव लेखी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलेगी, जिसके कारण अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 2/2001-02 सी-144 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 2/2001-02 सी-144 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर